कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, ग्राम कचान्दुर, जिला-दुर्ग
छत्तीसगढ़-490024 ई-मेल : ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक/ CCMGMCH /क्रय/2025/1960 दुर्ग, दिनांक 30/12/2025

II सीमित निविदा पद्धति से तृतीय निविदा (Quotation) आमंत्रण सूचना II

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.) के माईक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा विभाग में लगने वाले Antibiotic Discs एवं अन्य आवश्यक सामग्री का द्वितीय निविदा में फर्मो द्वारा दर प्रस्तुत नही करने के फलस्वरूप **तृतीय निविदा (Quotation)** सिमित निविदा पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिये निविदाकर्ता फर्म निम्नलिखित प्रारूप में निविदा (Quotation) प्रस्तुत कर सकते है :-

S.N.	Item Name	Reg. Specification	Packing Size	Make	Rate	GST	Total Rate (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Ampicillin/Sulbactum	10/10 mcg					
02	Azithromycin	15mcg					
03	Aztreonam	30mcg					
04	Bacitracin	0.04units/disc					
05	Cefepime	30mcg					
06	Cefotaxime	30mcg					
07	Cefoxitin	30mcg					
08	Cefpodoxime	10mcg					
09	Chloramphenicol	30mcg					
10	Ciprofloxacin	5mcg					
11	Clindamycin	2mcg					
12	Colistin Sulphate	10mcg					
13	Co-trimoxazole	25mcg					
14	Doxycycline	30mcg					
15	Erythromycin	15mcg					
16	Fluconazole	10mcg					
17	Fosfomycin	200mcg					
18	Levofloxacin	5mcg					
19	Meropenem	10mcg					
20	Nitrofurantoin	300mcg					
21	Norfloxacin	10mcg					
22	Optochin	5mcg					
23	Oxidase	10mm					
24	Piperacillin-Tazobactum	100/10mcg					
25	PolymixinB	300 units					
26	Tobramycin	10mcg					
27	Vancomycin	0.016-256 mcg/ml					

अतः उपरोक्तानुसार प्रारूप में **निविदाकर्ता फर्म निविदा (Quotation) मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 05 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक इस कार्यालय में जमा कर सकते है।** विलंब से प्राप्त निविदा (Quotation) मान्य नहीं की जावेगी।

नियम एवं शर्तें :-

01. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करे। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
02. कृपया जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करें साथ ही फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
03. किसी भी फर्म की कोई भी शर्ते मान्य नहीं होगी।
04. सामाग्रियों को चिकित्सालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
05. आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर ही सामाग्रीयाँ प्रदाय किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।

कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय, ग्राम कचान्दुर, जिला-दुर्ग

छत्तीसगढ़-490024 ई-मेल : ccmgmchdurg@gmail.com

06. लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम अंकित होना चाहिए।
07. प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
08. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नही होगी। उक्त संबंध में उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
09. सामाग्री अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
10. उक्त सामाग्री गुणवत्ता विहिन पाये जाने पर वापस किये जाने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा। अनुमानित संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
11. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
12. सामग्री का प्रदाय MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक मूल्य पर प्रदाय नहीं किया जायेगा।

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

सम्बद्ध चिकित्सालय दुर्ग (छत्तीसगढ़)